



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 (माघ 25, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्नि 11.02 बजे समवेत हुई।
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. बधाई एवं शुभकामनाएँ बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सदन को बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में संपूर्ण सदन को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 160 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1783) नल-जल योजनाओं संबंधी विधायकों के प्रत्रों की जाँच समय-सीमा में पूरी कराये जाने संबंधी मांग पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा दि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा गया।
- (2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखे गए।

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

बैतूल जिले में एक आदिवासी युवक पर अत्याचार की घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना का उल्लेख

श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्यों द्वारा बैतूल जिले में एक आदिवासी युवक को नग्न करके, उल्टा टांगकर उसकी बेरहमी से पिटाई किए जाने संबंधी अत्याचार की घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिए जाने का उल्लेख किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- श्री रामनिवास रावत, सदस्य की यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज पूर्वाह्न 9.50 बजे प्राप्त हुई है, जो उत्तर के लिए विभाग को भेजी गई है।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

(श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के आसन के पास कुछ माननीय सदस्यों के आसंदी की तरफ पीठ करके चर्चारित होने पर)

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के पूर्व सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर परस्पर बात करने से कार्यवाही में व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- “कृपया सदन में माननीय सदस्य आपस में खड़े

होकर बात न करें, यह उचित नहीं है, आपको अपने आसनों पर बैठना चाहिए. सदन चलते समय परस्पर बातचीत न करें.”

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि कभी भी आसंदी की तरफ पीठ करके खड़े नहीं होना चाहिए, माननीय सदस्य जब भी अपने आसन पर बैठें या उठें तो नमन करें, यह संसदीय परंपरा है, इसका जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए.

डॉ. कुँवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा यह अनुरोध किया गया कि बिना आसंदी की अनुमति के किसी माननीय सदस्य का मार्ईक भी चालू नहीं रहना चाहिए.

7. ध्यानाकर्षण

- (1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले में आर. बी. सी. नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.
- (2) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर नगर का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

- (3) डॉ. हिरालाल अलावा (डॉ. रामकिशोर दोगने, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को) सदस्य, प्रदेश की मृदा परीक्षण प्रयोग शालाएं बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री एदल सिंह कंपाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.
श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भँवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया.
- (4) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड नगर पालिका परिषद् में आर्थिक अनियमितता होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.
तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि- अब, मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (14) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, संबंधित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुईं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े माने जाएँगे तदनुसारः-
- (5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य नवीन मैहर जिले में विभागों के प्रशासकीय कार्यालय भवन न बनाए जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.
- (6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिष्ठाता की भर्ती में आरक्षण का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य.
- (7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा से अनेक छात्र-छात्राएं परीक्षा देने से वंचित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

- (8) सर्वश्री राजेन्द्र भारती, रामनिवास रावत, सदस्यों की सचूनाएँ दतिया एवं आसपास के जिलों में निजी खातेदारों के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
- (9) श्री अरुण भीमावद, सदस्य शाजापुर बस स्टैण्ड पर बनाई जा रही दुकानों का कार्य भुगतान के अभाव में बंद होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (10) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य इंदौर-बुधनी रेलमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
- (11) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य गुन्नौर क्षेत्र के नगर परिषद् ककहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (12) इंजी. श्री प्रदीप लारिया, सदस्य सागर जिले के नरयावली क्षेत्र में नल जल योजना का कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.
- (13) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना का लाभ कृषकों को न मिलने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.
- (14) श्री रामनिवास रावत, सदस्य श्योपुर जिले के वीरपुर थाना स्वत्व की जमीन पर अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य प्रस्तुत हुए माने गए.

8. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार:-

- (1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य (जिला-दतिया)
- (2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य (जिला-रतलाम)
- (3) श्री केशव देसाई, सदस्य (जिला-भिण्ड)
- (4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य (जिला-हरदा)
- (5) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य (जिला-भोपाल शहर)
- (6) चौधरी सुजीत मेर सिंह, सदस्य (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (7) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य (जिला-मैहर)
- (8) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य (जिला-रतलाम)
- (9) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य (जिला-भिण्ड)
- (10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य (जिला-श्योपुर)
- (11) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य (जिला-ग्वालियर शहर)
- (12) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य (जिला-शिवपुरी)
- (13) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
- (14) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य (जिला-बालाघाट)
- (15) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य (जिला-बालाघाट)
- (16) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य (जिला-धार)
- (17) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य (जिला-धार)
- (18) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य (जिला-कटनी)
- (19) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य (जिला-शिवपुरी)
- (20) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य (जिला-झावुआ)
- (21) श्री विपिन जैन, सदस्य (जिला-मंदसौर)
- (22) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य (जिला-उज्जैन)
- (23) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य (जिला-रतलाम)
- (24) श्री अनिल जैन, सदस्य (जिला-निवाड़ी)
- (25) श्री सुरेश राजे, सदस्य (जिला-ग्वालियर शहर)
- (26) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य (जिला-ग्वालियर)
- (27) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य (जिला-बड़वानी)
- (28) श्री श्याम बरडे, सदस्य (जिला-बड़वानी)

- (29) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य (जिला-दतिया)
- (30) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
- (31) श्री केदार चिङ्गाभाई डावर, सदस्य (जिला-खरगोन)
- (32) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, (जिला-पन्ना)
- (33) श्री सोहनलाल बालमीक, सदस्य (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (34) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य (जिला-अनूपपुर)
- (35) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य (जिला-बड़वानी)
- (36) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
- (37) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, (जिला-सिवनी)
- (38) इंजी. श्री गोपाल सिंह, सदस्य (जिला-सीहोर)
- (39) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य (जिला-मण्डला)
- (40) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य (जिला-अलीराजपुर)
- (41) इंजीनियर श्री प्रदीप लारिया, सदस्य (जिला-सागर)
- (42) श्री अभय मिश्रा, सदस्य (जिला-रीवा)
- (43) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य (जिला-राजगढ़)
- (44) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य (जिला-बालाघाट)
- (45) श्री बाला बच्चन, सदस्य (जिला-बड़वानी)
- (46) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य (जिला-जबलपुर शहर)
- (47) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य (जिला-अनूपपुर)
- (48) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य (जिला-मुरैना)
- (49) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य (जिला-सागर शहर)
- (50) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य (जिला-सतना)
- (51) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य (जिला-शहडोल)
- (52) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य (जिला-नर्मदापुरम)
- (53) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य (जिला-धार)

संबंधी दैनिक कार्यसूची में अंकित आवेदनों (याचिकाओं) को सदन में प्रस्तुत हुआ माना गया.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद) को विधान सभा के फरवरी, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु पुकारे जाने पर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा किए जाने संबंधी निर्णय न होने के बावजूद भी नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा लेने हेतु आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सुरेश राजे, ओमकार सिंह मरकाम, लखन घनघोरिया, हेमंत सत्यदेव कटारे एवं सुश्री रामसिया भारती सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

इस चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री सुरेश राजे

- (2) श्री भैंवरसिंह शेखावत
- (3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
- (4) श्री साहब सिंह गुर्जर
- (5) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
- (6) श्री कमल मर्सकोले
- (7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (8) श्री पन्नालाल शाक्य
- (9) श्री मधु भाऊ भगत
- (10) श्री रामनिवास रावत

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. इस दौरान श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव सरकार को दिए गए. अध्यक्ष महोदय द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए. डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए कि सत्रोपरांत पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्य परस्पर संवाद कर कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो उस पर शासन द्वारा अवश्य विचार किया जाएगा.

11. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

- (1) श्री विपिन जैन, सदस्य की प्रदेश के निजी विद्यालयों में गरीब एवं मध्यम वर्ग में आर.टी.ई. का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9वीं में 12वीं तक किया जाना,
- (2) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कार्य एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने के कारण आदिवासियों का पलायन किया जाना,
- (3) श्री जितेन्द्र उदयसिंह पण्डया, सदस्य की बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में नीलगाय (घोडारोज) द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाना,
- (4) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा), सदस्य की विधान सभा क्षेत्र लखनादौन अंतर्गत घंसौर एवं लखनादौन के ग्रामों में हुई अतिवृष्टि से खड़ी फसलों के नष्ट होने से राजस्व टीम गठित कर मुआवजा वितरण किया जाना,
- (5) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत, सदस्य की) जिला आगर मालवा में आद्यौगिक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से नवीन उद्योग स्थापित किया जाना,
- (6) श्री विश्वनाथ सिंह, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में हुई वर्षा से लालिया रोग से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा प्रदाय किया जाना,
- (7) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य की खैरलांजी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरलांजी में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना,
- (8) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिमरा खास की पहाड़ी पर पत्थर एवं जामनी नदी पर रेत का अवैध उत्खनन किया जाना,
- (9) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लल्लेपुरा सेमराबाग भवन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का भवन जर्जर एवं खस्ता हाल में होना,
- (10) श्री महेश परमार, सदस्य की आगामी बजट सत्र में बिजली की दरों में वृद्धि न की जाना,
- (11) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर में मेला मैदान की लीज वाली बेशकीमती भूमि को लीजधारियों द्वारा भूमि का फर्जी अंतरण एवं नामांतरण कर फर्जी रजिस्ट्री कराया जाना,
- (12) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ सैकड़ों बच्चों को न मिल पाना,
- (13) श्री संजय उर्के, सदस्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ी, उकवा, मंडई एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सालेटेकरी में चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाना,

- (14) श्री सुरेश राजे, सदस्य की डबरा नगर पालिका क्षेत्र ओव्हर ब्रिज के नीचे हाथ ठेला लगाकर गरीब व्यवसाइयों का ठेला जब्त कर सामान फैका जाना,
- (15) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पेंच व्यपर्वतन नहर निर्माण परियोजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण कार्य धीमी गति से होना,
- (16) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद् क्षेत्रांतर्गत भूमि को कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अधिकारिता विहीन आदेश जारी कर विद्युत को आवंटित किया जाना,
- (17) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य की म.प्र. शासन नामांतरण, बटवारे, सीमांकन के संबंध में शासकीय भूमि की सुरक्षा हेतु अधिकारी गणों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन न किया जाना,
- (18) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान न किया जाना,
- (19) श्री अभय मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले में जलजीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों में सङ्कों को तोड़ने से उनका मूल स्वरूप नष्ट होना,
- (20) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य की भिण्ड जिले के संविदा शिक्षकों को पावता होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक के पद से वंचित किया जाना,
- (21) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की जिला बालाघाट के विभिन्न ग्रामों में आंधी तूफान ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा न दिया जाना,
- (22) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की जिला बड़वानी के अंतर्गत नरेगा के कार्य न होने से ग्रामवासियों के पलायन की स्थिति,
- (23) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य की वृद्धावस्था पेंशन बनाये जाने में सरलीकरण किया जाना,
- (24) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की कटनी जिले के बिलहरी से स्लीमनाबाद मार्ग की जर्जर हालत,
- (25) डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की नागदा खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों के ग्रामवासियों को पट्टे न मिल पाना,
- (26) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य की बालाघाट जिले की तहसील लालबर्ड मुख्यालय में ध्वजारोहण में प्रोटोकाल का पालन न किया जाना,
- (27) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की प्रदेश के कालेजों में कम्प्यूटर साईंस विषय हेतु सहायक प्राध्यापक पद की नियुक्ति कर भर्ती किया जाना,
- (28) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के कई ग्रामों में भारी ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा न दिया जाना,
- (29) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र पोहरी में नियमित विद्युत सप्लाई न किया जाना,
- (30) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की अटेर विधान सभा क्षेत्र के जवासा में माध्यमिक विद्यालय का अधूरा भवन निर्माण पूर्ण न कराया जाना,
- (31) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त होना,
- (32) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले के सिविल अस्पताल कन्नौद एवं खातेगांव में मरीजों के उपचार की सुचारू व्यवस्था होना.

12. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा समापन भाषण में यह उद्घार व्यक्त किए गए कि –

मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा का द्वितीय सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस सत्र में 06 बैठकें हुईं जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर लेखानुदान पारित किया वहीं वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इस सत्र में कुल 2303 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 1163 तारांकित 1140 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 541 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें 40 सूचनाएं ग्राहय हुईं। शून्यकाल की 176 सूचनाएं एवं 242 याचिकाएं प्राप्त हुईं तथा 08 शासकीय विध्यक भी पारित किये गये।

माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर, हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर तथा 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

मध्यप्रदेश विधान सभा अपने नवाचारों के लिये जानी जाती है। इसी क्रम में मेरे द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश में संशोधन किया गया। विधान सभा के किसी कार्यकाल के सत्रों में सदन की बैठकों हेतु प्राप्त प्रश्नों की वे सूचनाएं, जो स्वीकृत होकर विभागों को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी हैं, के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सभा के विघटन के ठीक पूर्व तक प्राप्त नहीं होने पर, सभा के विघटन पर व्यपगत मानी जाती थीं, अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इस संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्य अपनी क्षेत्र की समस्याएं प्राथमिकता से उठा सकें इस हेतु मेरे द्वारा उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया तथा महिला सदस्यों के प्रश्नों को प्राथमिकता दी गई। शून्यकाल में जनहित के विषय उठाने के लिए भी अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने हेतु जहां शून्यकाल की नये सदस्यों की सूचनाएं अधिक ली गई, वहीं शून्यकाल अपराह्न में लिया गया, इससे सदन की बैठक के अंत तक उपस्थिति भी अच्छी रही। वहीं भोजनावकाश स्थगित कर एवं सदन के समय में वृद्धि कर अनेक विषयों पर चर्चाएं पूर्ण कराई गई।

विधायी सदन डिबेट, डॉयलॉग, डिस्कशन के केन्द्र होते हैं, जहां इनके माध्यम से जनता की आवाज को स्वर दिये जाते हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और कार्यपालिका का मार्गदर्शन भी किया जाता है। इस दृष्टि से इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर 36 एवं द्वितीय कार्यों पर 32 सदस्यों द्वारा की चर्चा इस बात का प्रतीक है कि माननीय सदस्य कितने गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय कार्य प्रणाली के लिए शुभ संकेत है।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधान सभा प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि तथा होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूँ।

अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे, धन्यवाद।

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि, अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थायी आदेश में जो संशोधन किया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी विधान सभा के सुचारू संचालन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

13. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम 12 (ख) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

14. राष्ट्र गान “जन-गण-मन” का समूह गान

(सदन के माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्र गान “जन-गण-मन” का समूह गान किया गया।)

15. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 4.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल :

दिनांक : 14 फरवरी, 2024

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा
